

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2018—आश्विन 30, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

राज्य सरकार द्वारा मंत्री-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 80 दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 में अनुमोदन के क्रम में उक्तानुसार दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 एवं दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 को परिपत्र जारी किये गये हैं।

Price Deficit Payment Scheme (PDPS) योजना में भारत सरकार द्वारा PDPS आपरेशनल गार्डललाईन्स अनुसार मॉडल दरों की गणना के लिए PDPS/ (फ्लैट भावांतर भुगतान योजना) के लिये निम्न राज्य अधिसूचित किये जाते हैं।

क्र.	फसल	भावांतर भुगतान योजना के लिए विक्रय की अवधि	मंडियों की माडल (Wholesale) विक्रय दर गणना हेतु म. प्र. के अलावा नियत दो अन्य राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सोयाबीन	20 अक्टूबर से 19 जनवरी तक	महाराष्ट्र, राजस्थान
2.	मक्का	20 अक्टूबर से 19 जनवरी तक	कर्नाटक, महाराष्ट्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.